संख्याः– /XVII-3/13-07(66-MSDP)/08 (TC-2)

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषयः–एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या–157 दिनांक 29 मार्च, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के शासनादेश संख्या–3/20(2)/2008-PP-I दिनांक 28 फरवरी, 2011 द्वारा प्रदान किये गये वित्तीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप जनपद हरिद्वार के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव जो कि राजकीय इण्टर कॉलेज, सलेमपुर, महदूद में 05 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के. निर्माण से सम्बन्धित हैं के निर्माण हेतु कुल रू0 31.53 लाख (रू0 इकतीस लाख तिरपन हजार मात्र–निर्माण कार्यो हेतु रू0 29.91 लाख तथा अधिप्राप्ति के कार्यों हेतु रू0 1.62 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु स्वीकृत रू0 28.90 की सीमा के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अर्थात रू0 14.45 लाख [रू0 चौदह लाख पैतालीस हजार {रू0 10.8375 लाख (केन्द्रांश)+रू0 3.6125 लाख (राज्यांश)}] की धनराशि जारी की गयी थी।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–3/20(2)/2008–PP-I दिनांक 21 फरवरी, 2014 के द्वारा केन्द्रांश के रूप में द्वितीय किश्त रू0 10.84 लाख (75%) जारी किये जाने के कम में राज्यांश रू0 3.6125 लाख (25%) सम्मिलित करते हुए उक्त कार्य हेतु कुल द्वितीय किश्त रू0 14.45 लाख (रू0 चौदह लाख पैतालीस हजार) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत प्रदान करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318 दिनांक 18 मार्च, 2014 के कम में निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

S.No.	Name of the Project for Haridwar	Sharing Ratio	No. of Units	Unit Cost	Total Cost approved by GOI	TAC Approved Cost for Const. Works	Uttarakhand Procurement rules, 2008 sanctioned cost.	Total Cost Approved By State Gtovt. (7+8)	Central Share (75% of Col. 6)	State Share (25% of Col. 6)	2nd installment amount to be released according central Govt. (50%)	2nd instalim ent amount to be released by State Govt. (50%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Const. of 1 1aboratory and 4 classrooms, Govt. Inter College Salempur Mehdud.	75:25	5	5.78	28.90	29.91	1.62	31.53	21.68	7.225	10.8375	3.6125
										प्रथम किश्त के रूप में आवटित धनराशि	14.45 (Col. 12 + Col. 13)	

2. उक्त धनराशि इस आशय पर निवर्तन पर रखते हुये आहरण की स्वीकृति प्रदान की जा रही है कि उपरोक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार सक्षम स्तर की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को नियमानुसार धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। प्रकरणाधीन कार्यो की संस्तुत लागत में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुपालन में स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमावली के संगत प्राविधानों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार ही किया जायेगा। साथ ही भारत सरकार के वित्तीय स्वीकृति संबंधी आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2014 में निहित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण हेतु प्रस्तावित केन्द्रों के शतप्रतिशत वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण की प्रामाणिक सूची भी शासन को प्रेषित की जायेगी।

3. टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त धनराशि (भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा के अतिरिक्त) रू0 2.63 लाख के सापेक्ष कम किये गये कार्यो का विवरण शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–515/XXVII(1)/2008 दिनांक 28 जुलाई, 2009 तथा 187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्यो के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. कार्यदायी संस्था नियमानुसार एवं ठेकेदार प्रस्तावित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। निर्माण सामग्री को उपयोग को लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

6. आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

9. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

10. निर्माणाधीन कार्य की कम से कम चार स्तरों (कार्य प्रारम्भ करते समय/छत ढलाई के समय/कार्य पूर्ण होने पर/भवन हस्तान्तरण के समय) पर डिजिलट फोटोग्राफी कराते हुये इसकी संकलित सूचना निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय मुख्यालय पर रखी जायेगी तथा वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

11. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

14. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से प्रत्येक माह के 5 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2250–800–01–01–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टीसेक्टोरल विकास योजना (संलग्न तालिका) के मानक मद–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जाएगा।
16. यह आदेश अलोटमैंट आई डी संख्या S1409150095 दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–790(1)/XVII-3/12-07(66-MSDP)/08 (TC-2) तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी–हरिद्वार।
6. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, हरिद्वार।
7. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुनीता पी पांथरी)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Minority Welfare (S064)

आवंटन पत्र संख्या - 746/xvii-3/14-07(66MSDP)/2008 TC-2

अलोटमेंट आई डी - S1409150095

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक -12-Sep-2014

HOD Name - Director Minority Welfare (4132)

1: लेखा शीर्षक 2250 - अन्य सामाजिक सेवायें 00 -

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं

01 - अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना (60

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	1445000	1445000
	0	**1445000**	**1445000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1445000